(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–रायसेन

R/अपील/रायसेन/आ.अ/2018/0779

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,
सेहतगंज, जिला–रायसेन (म.प्र.)

-- अपीलार्थी

विरूद्ध

1– आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर
2– उपायुक्त, आबकारी संभागीय उडनदस्ता, भोपाल
3– जिला आबकारी अधिकारी जिला रायसेन
4– जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स सोम डिस्टलरी प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन

-- प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 13.2.18 नियत।

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017–18/2787 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश, आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/रायसेन/आ.अ./2018/0779

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-12-2018	अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/2787 में पारित आदेश दिनांक 3-6-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्ष 2014-15 हेतु आसवनी परिसर में देशी मदिरा की बॉटलिंग कर, उससे सम्बद्ध प्रदाय क्षेत्रों में थोक बोतलबंद देशी मदिरा प्रदाय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)14-15/1120 दिनांक 29-3-2014 द्वारा अपीलार्थी कम्पनी का सी.एस. 1-बी लायसेंस स्वीकृत किया गया था । जिला आबकारी अधिकारी, रायसेन के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई सेहतगंज जिला रायसेन में माह फरवरी, एवं मार्च 2015 में विभिन्न तिथियों पर रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है, जबकि म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4) एवं सी.एस. 1-बी के अनुसार विगत माह के 7 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह रखना अनिवार्य है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/2787 में दिनांक 3-6-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने से अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 20,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही, उक्त उल्लंघन लगातार चालू रहने के कारण प्रदाय संविदाकार पर सी.एस. 1-बी देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में माह फरवरी एवं मार्च, 2015 में कुल 52 दिवस रेक्टीफाइड स्प्रिट तथा 40 दिवस बोतलबंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रूपये 100/- प्रतिदिन के मान से रूपये 9,200/- शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 29,200/- रूपये जमा करने के आदेश दिये	

गये । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए लिखित तर्क भी प्रस्तुत करने का निवेदन किये जाने पर उन्हें सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का स्पष्ट जवाब प्रस्तुत किया गया था कि आसवक द्वारा उसे आबंटित समस्त 9 जिलों में देशी मदिरा का प्रदाय व्यवथा सुचारू रूप से की गई है, जिसके परिणामस्वरूप 20100976 प्रुफ लीटर देशी मदिरा का प्रदाय किया गया है, जिससे शासन को आय प्राप्त हुई है । आसवक द्वारा उक्त प्रदाय देने के उपरांत भी समस्त देशी मदिरा भाण्डागारों पर लगभग 685929 प्रुफ लीटर का अंतिम स्कंध के रूप में शेष है एवं सी.एस. 1-बी यूनिट सेहतगंज में लगभग 682149.5 प्रुफ लीटर का अंतिम स्कंध है । इस प्रकार कुल लगभग 1368078.50 प्रुफ लीटर देशी मदिरा का स्कंध अवशेष के रूप में संग्रह था । यह भी कहा गया कि फुटकर ठेकेदारों द्वारा मंदिरा दुकानें बंद रहने के कारण क्षतिपूर्ति की कोई मांग नहीं की गई है और न ही फुटकर ठेकेदारों को मांग अनुसार प्रदाय देने में कोई विलम्ब हुआ है । अत: अपीलार्थी कम्पनी पर चालान लंबित रहने संबंधी जो आरोप लगाये गये हैं, वह उचित नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा मदिरा प्रदाय की अनुमति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण में राज्य शासन को क्या हानि हुई, इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया है । अत: प्रमाण भार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) एवं सी.एस. 1-बी के अनुसार विगत माह के 7 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह रखना अनिवार्य है, किन्तु अपीलार्थी कम्पनी द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्कंध विभिन्न

तिथियों पर नहीं रखा जाना प्रमाणित है । अत: अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टत: उल्लंघन है । उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई सेहतगंज जिला रायसेन में माह फरवरी एवं मार्च 2015 में विभिन्न तिथियों में, विगत माह के 7 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह नहीं रखा गया है । म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) एवं सी.एस. 1-बी के अनुसार विगत माह के 7 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह रखना आवश्यक है । भले ही अपीलार्थी के उक्त कृत्य से शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परन्तु अपीलार्थी कम्पनी को विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है । अत: अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर 20,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उपरोक्त अवधि में कुल 52 दिवस रेक्टीफाइड स्प्रिट तथा 40 दिवस बोतलबंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रूपये 100/- प्रतिदिन के मान से रूपये 9,200/- शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 29,200/- रूपये जमा करने के जो आदेश दिये गये हैं, वह उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई नहीं है । अत: इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 3-6-2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष